प्रेसनोट

दिनांक- 03.11.2026

जनपद मऊ।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।"""

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

***पाक्सो एक्ट के मामलें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ***

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.11.2026 को मु0अ0सं0 297/2026 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित एक नफर अमियुक्त 1. सरवन पटवा पुत्र काशीनाथ पटवा

निवासी ग्राम जफ्फरपुर डीहिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 297/2026 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 168/2020 धारा 363, 366, 376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सरवन पटवा पुत्र काशीनाथ पटवा निवासी ग्राम जफ्फरपुर डीहिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक

दिनांक- 03.11.2026

पाक्सो एक्ट के मामलें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.11.2026 को मु0अ0सं0 303/2026 धारा 137(2), 87, बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित एक नफर अमियुक्त सूरज राजभर पुत्र सरवन राजभर निवासी ग्राम नाशोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 303/2026 धारा 137(2), 87, बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सूरज राजभर पुत्र सरवन राजभर निवासी ग्राम नाशोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक

दिनांक- 03.11.2026

पाक्सो एक्ट के मामलें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.11.2026 को सिविल कोर्ट गेट नं0 2 जनपद गोरखपुर से मु0अ0सं0 222/2026 धारा 87/137(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित एक नफर

अमियुक्त आशीष पासवान पुत्र मनोहर पासवान निवासी ग्राम परसिया देवारा थाना बरहज जनपद देवरिया उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल महिला आरक्षी द्वारा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 303/2026 धारा 137(2), 87, बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सूरज राजभर पुत्र सरवन राजभर निवासी ग्राम नाशोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक

दिनांक- 03.11.2026
स्थान - सिविल कोर्ट गेट नं0 2 जनपद गोरखपुर

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-03.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 26/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त राजेश यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी ग्राम बरईपार मलिक थाना घोसी जनपद मऊ को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 05 अभियुक्तों में 02 अभियुक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 51-51 हजार रूपये के अर्थदण्ड व 03 अभियुक्त को 3-3 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 31-31 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-03.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 541/2013 धारा 323, 506, 498A, 376, 313 भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्तगण क्रमशः 1. रवि प्रकाश चौरसिया, 2. शशि कुमार चौरसिया, 3. निखिलेश चौरसिया पुत्रगण ओम प्रकाश चौरसिया 4.ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद 5. श्रीमती बीना देवी पत्नी ओम प्रकाश चौरसिया समस्त निवासीगण मोहल्ला वाजिदपुरा दक्षिणी थाना कोपागंज जनपद मऊ को मा0 न्यायालय एएसजे/ftc-1 कोर्ट जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त शशि कुमार व निखिलेश उपरोक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 51-51 हजार रूपये के अर्थदण्ड व अभियुक्त रविप्रकाश, ओमप्रकाश व

बीना देवी उपरोक्त को 3-3 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 31-31 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।